राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 7 दिसम्बर, 1995

क्रमांक 3106-ज-2-95/18677.—श्री सरदार चन्द बक्शी, पुत्र श्री फतेह चन्द, निवासी 26-सी माडल टाऊन, यमुनानगर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला (अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 506-आर-66/1068, दिनांक 4 अप्रैल, 1965 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सरदार चन्द बक्शी की दिनांक 2 जनवरी, 1990 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सरदार चन्द बक्शी की विधवा श्रीमति राज कुमारी के नाम खरीफ, 1990 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक की दर तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 11 जनवरी, 1996

क्रमांक 3488-ज-2-95/1256.—श्री हरी सिंह, पुत्र श्री गुरदित्त सिंह, निवासी गांव जड़ौदा, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला (अब यमुनानगर) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 494-आर-4-66/1159, दिनांक 21 अप्रैल, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद मे अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री हरी सिंह की दिनांक 17 मई, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हरी सिंह की विधवा श्रीमती भानकौर के नाम खरीफ, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

जी० डी० सैनी,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

LATE NOTIFICATIONS